न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस</u>

प्रकरण संख्या **28/2019** अपील (राजस्व)

1. नानी बाई पुत्री रता भील पत्नी स्व. गोपा निवासी फांदा, पटवार हल्का तितरड़ी, तहसील गिर्वा, हाल निवासी धोल की पाटी, डाकनकोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भीमा पिता श्री रता भील निवासी फांदा, पटवार हल्का तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
2. पुष्पा पुत्री टेका भील निवासी फांदा, पटवार हल्का तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
3. भुरकी पत्नी टेका भील निवासी फांदा, पटवार हल्का तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर(राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 199 निर्णय दिनांक 03.12.2004 उप तहसीलदार बारापाल, तहसील गिर्वा अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित : श्री नरेन्द्र चित्तौडा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन अधिवक्ता वि.सं. 1 से 3
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

दिनांकः—14.10.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा उप तहसीलदार बारापाल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फांदा पटवार क्षैत्र तितरड़ी में अपीलान्ट की कृषि भूमि स्थित हैं जिसके हाल आराजी सं. 487, 711, 712, 714, 715, 716, 717 कुल किता 7 रकबा 1.9400 है. जिसमें अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा हैं। उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता रता पिता भग्गा की खातेदारी होकर

उनकी मृत्यु होने पर विरासत से खोले गये नामान्तरकरण में उनके दोनो पुत्र भीमा व टेका का नाम विरासत में दर्ज किया गया। टेका की मृत्यु हो जाने से उसकी पुत्री पुष्पा व पत्नी भुरकी के नाम दर्ज किया गया। जबकि रता पिता भग्गा की पुत्री अपीलान्ट नानी बाई का नाम दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार विरासत से खोला गया नामान्तकरण गलत होने से अवैध व शून्य होने से खारिज योग्य है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करते समय विरासत की सही जांच की गई होती तो रता पिता भग्गा के सभी वारिसानो का नाम दर्ज होता। अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर बैंक से ऋण लेने के लिए पटवारी साहब से दिनांक 18.04.19 को सम्पर्क किया तथा जमाबन्दी की नकल देने के लिए कहा तो पटवारी सा. ने कहा की भूमि आपके नाम पर नहीं है। इसलिए आपको राजस्व न्यायालय में नामान्तरकरण की अपील करनी पड़ेगी। जिस पर अपीलान्ट ने नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई हैं जिसे स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण सं. 199 निर्णय दिनांक 03.12.2004 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपने अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र मियाद कण्डोन कराये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीयां ने जब अपने हिस्से की भूमि पर बैंक से ऋण लेने के लिए पटवारी साहब से दिनांक 18.04.19 को सम्पर्क किया तब इसका ज्ञान हुआ। जिस पर तुरन्त राजस्व रेकार्ड की नकले निकलवायी। जो दिनांक 22.04.19 प्राप्त होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद लिये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री कल्पित जैन उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है साथ ही अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम फांदा पटवार क्षेत्र तितरड़ी में अपीलान्ट की कृषि भूमि स्थित हैं जिसके हाल आराजी सं. 487, 711, 712, 714, 715, 716, 717 कुल किता 7 रकबा 1.9400 है. जिसमें अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा हैं। उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता रता पिता भग्गा की खातेदारी दर्ज थी। रता की मृत्यु होने से विरासत से नामान्तरकरण 199 दिनांक 3.12.2004 दर्ज किया गया जिसमें उसके दोनो पुत्रों का ही नाम दर्ज था। टेका की मृत्यु हो जाने से उसकी पुत्री पुष्पा व पत्नी भुरकी के नाम दर्ज किया गया। जबकि रता पिता भग्गा की पुत्री अपीलान्ट नानी बाई का नाम भी दर्ज नहीं किया गया। जबकि रता पिता भग्गा की पुत्री अपीलान्ट नानी बाई का नाम सजरे में अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार विरासत का नामान्तकरण सही जांच कर नहीं खोला गया है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जन जाति के सदस्य है। तथा उन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू न होकर कस्टमरी लॉ लागू होता है। शेष नामान्तकरण फांदा में विरासत से पुत्र के नाम खोले गये है। रेस्पोडेन्ट द्वारा भी अपीलान्ट के रता पिता भग्गा की पुत्री होने का विरोध नही किया गया है तथा ग्राम पंचायत तितरडी द्वारा भी जारी सजरे से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट रता पिता भग्गा की पुत्री है। अतः अपीलीय नामान्तकरण 199 को निरस्त किया जाकर रता के सभी विधिक वारिसानों के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थनापत्र के संबंध में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण बिना सूचना व जानकारी के पारित किया गया था। नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को नहीं होने दी। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट के परोक्ष में खोला गया है। जो एबनिशियो वॉईड है। गलत तरीके से खोले गये नामान्तकरण की कोई मयाद नहीं होती है। जैसा कि

2013(1)आर.आर.टी. 437 में नामान्तकरण को विलम्ब से माफ किया जाकर अपील को मयाद में माना गया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील के साथ जो प्रार्थनापत्र मयाद कण्डोन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है उसमें अपीलार्थी द्वारा यह लिखा गया कि मुझे इस नामान्तकरण की जानकारी कई समय पश्चात हुई। जबकि अपील मेमो में यह लिखा है कि मुझे 2019 में जानकारी हुई। जबकि अपीलार्थी एक तरफ तो उपयोग कर्ता बता रही है। अपने आप को विवाहित भी बताती है, परन्तु कई पर भी यह नहीं लिखा है कि ससुराल व पीहर दोनो स्थान पर एक साथ कैसे भूमि का उपयोग कर रही है। यदि वह ससुराल की भूमि का उपयोग करती है तो उसका पीहर की भूमि पर कोई आधिपत्य व अधिकार नहीं है। अपने पिता की मृत्यु की जानकारी उसे उसी समय हो गई थी। उसके द्वारा विहित समय में चाराजोही नहीं की। 17 वर्ष बाद शांत रहने व इस संबंधी कार्यवाही नहीं करने से स्पष्ट है कि उसने अपने अधिकारों का त्याग कर दिया है। अपने प्रार्थनापत्र में 17 वर्ष की अवधि का क्षमन किये जाने संबंधी कोई स्पष्टीकरण पेश नही किया गया है। प्रस्तुत अपील परिसीमा के आधार पर खारीज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अपील मेमा में मूल पुरूष रता की पौत्री का अंकन किया गया है। वह जिस प्रकार विरासत से अपने अधिकारों की मांग की है वह पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुतोष मांगा है। जबकि अधिनियम की धारा 2 में स्पष्ट वर्णन है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जन जाति के सदस्यों पर लागू नहीं होते है। परन्तु अपील मेमो में यह नहीं लिखा गया है कि इससे संबंधित प्रावधान अपीलार्थी पर किस प्रकार लागू होते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत फुलवती बनाम प्रकाश के न्यायिक निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओ के पैतृक सम्पत्ति में व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देश दिये है जिनकी परीधि में अपीलार्थी नहीं आती है क्योकि अपीलार्थी के पिता/पूर्वज का देहान्त वर्ष 2005 से पूर्व हो चुका है तथा यह अपील धारण किये जाने योग्य नहीं है एवं इस अपील के मार्फत

जिस नामान्तरकरण को आलोच किया गया है वह आलोच न होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण को विधि प्रकिया से खोला गया है। ऐसे विरासत से खोले गये नामान्तकरण को चुनौति देने का अधिकार अपीलार्थी को नहीं है और नाही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है। नाही अपील में ऐसा कोई आधार है जिससे अपीलार्थी को विधिक बल प्राप्त होता हो। मात्र प्रत्यर्थीगणो को परेशान करने के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसे निरस्त फरमायी जाये। अपने बहस की ताईद में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नं. 7217/13 निर्णय दिनांक 16.10.2015 की नजीर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तरकरण फैसल करते समय स्व. रता पिता भग्गा भील के विधिक वारिसानों की सही जांच नहीं कर मात्र रता के दो पुत्र क्रमशः भीमा पिता रता 1/2, पुष्पा पुत्री टेका मु.भुरकी पत्नी टेका के नाम ही भूमि का नामान्तकरण दर्ज कर फैसल कर दिया गया, जो न्योयाचित नहीं है। स्व. रता पिता भग्गा भील के प्रथम श्रेणी के सभी वैध वारिसानों की नियमानुसार जांच कर सभी वैध वारिसानों के नाम नामान्तरकरण दर्ज होकर फैसल होना चाहिए था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। परन्तु अपीलीय नामान्तकरण 199 निर्णय दिनांक 03.12.2004 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलीय नामान्तकरण से मात्र 0.1100 हेक्टयर का हस्तान्तरण हुआ है और वह भी रता पिता देवा भील की खातेदारी भूमि का किया जाकर कॉलम सं. 14 में यह प्रविष्टि दी गई है कि विरासत रता पिता भग्गा फौत लगभग 15 वर्ष पूर्व टेका पिता रता फौत एवं नामान्तरकरण के कॉलम सं. 16 में यह अंकन है कि रता पिता देवा के फौत हो जाने से मृतक के वारिसानों के नाम मजमेआम में बताए वारिसान के

नाम नामान्तकरण दायर कर वास्ते आदेशार्थ प्रेषित है। कॉलम नं. 14 व 16 दोनो पटवारी हल्का द्वारा ही प्रविष्टी की गई है। जबकि दोनो कॉलम में मृतक के पिता का नाम अलग है। संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2061—2064 के खाता नं. 123 जिसमें दर्ज रकबे का उस खातेदार के वारिसानों के नाम हस्तान्तरण हुआ हैं उस खातेदार का नाम रता पिता देवा भील है। जबकि इस कॉलम में नामान्तकरण का कोई दाखला नहीं होकर खाता नं. 124 में अपीलीय नामान्तकरण का दाखला लगा हुआ है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख के मुकाबले मृतक के सही वारिसानों की जांच कर अभिलेख में दुरूस्ती किया जाना भी अतिआवश्यक है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलीय नामान्तकरण सं. 199 निर्णय दिनांक 03.12.2004 राजस्व ग्राम फांदा पटवार मण्डल तितरडी का निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. रता पिता देवा भील के वैध वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल करें व राजस्व अभिलेख में जो भी गलतियां हुई है, उनकी नियमानुसार शुद्धि की जाकर अभिलेख में नये सिरे से इन्द्राज करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा एवं उपतहसीलदार बारापाल को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2019.12.17 11:00:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: